FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

- लादू पुत्र रामलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.। —वादी।

बनाम

- रामदीन पुत्र श्रवण जाति जाट, निवासी ग्राम तेजपुरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य —प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 183 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 09 /2024

ऑनलाइन नंबर 2024/46

वकील वादी :— अशोक शर्मा

वकील प्रतिवादीगण..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03/4/2025	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 183 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 19/4/2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
19/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी 01 की ओर से वकील श्री शिवराज सिंह एडवो. उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल। P.O. के चुनाव कार्य के कारण पत्रावली पूर्व अभियुक्त दि. 07/6/25 को पेश हो।	
07/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। तहसीलदार अरांई को वर्तमान मौके स्थिति की रिपोर्ट हेतु तलब किया जावे। पत्रावली दि. 15/6/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20.8.25.	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की है। साक्ष्य हेतु बार-बार अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं की। अतः वकील वादी की साक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 3.9.25 को पेश हो। WB
3.9.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली में बहस सुनी गई। संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पैरोकार जरसार का जवाब खुलासा का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। WB उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 09/2024

लादू पुत्र रामलाल जाति जाट आयु लगभग अराई, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान। वर्ष निवासी ग्राम

वादी

बनाम

1. रामदीन पुत्र श्रवण जाति जाट, निवासी ग्राम तेजपुरिया, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

2. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

आदेश

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : वकील वादी श्री अशोक शर्मा

दिनांक 3/9/24

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम अराई, तहसील अराई जिला अजमेर का स्थायी निवासी है।वादी के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जेकाश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम अराई, पटवार हल्का अराई, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर में अवस्थित है। जिसके खाता संख्या नया 1178 के खसरा संख्या 3641/1971 रकबा 1.8283 हैक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि संपूर्ण राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम एकल खातेदारी में दर्ज है। वादी की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। जिसके उपयोग, उपभोग पर वादी का ही विधिक में बाधा कारित करने, उसमें अतिक्रमण करने, कब्जा करके कच्चा–पक्का निर्माण करने, बाड़े बनाने आदि का किसी भी व्यक्ति/संस्था को कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी की उक्त कृषि भूमि वादी के स्वामित्व, आधिपत्य व खुदकाश्त की है । वादी की प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त विवादित कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करना, भूमि पर से खड़े वृक्ष आदि को हटाना, क्षति पहुंचाना या दूसरे को हस्तांतरित कर नाजायज लाभ अर्जित करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करके पक्का निर्माण कर लिया है एवं टीनशेड लगाकर दीवार बनाकर पशुओं के लिए बाड़ा के निर्माण आदि कर लिए है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी की कृषिभूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने, अतिक्रमण करने, निर्माण करने का विधिक अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी प्रतिवादी ने विवादित भूमि से नाजायज लाभ प्राप्त एवं न्याय को विफल करने में प्रयत्नशील है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से बिना विधिपूर्ण अधिकार के कब्जा करके मकानात, बाड़े आदि बनाकर कब्जा कर लिया है। उक्त प्रतिवादी संख्या 1 अतिचारी के विरूद्ध धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली की कार्रवाई किए जाने हेतु न्यायहित में अतिआवश्यक है। इसलिए यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 103/2022 उनवान लादू बनाम घमला पत्थरगड़ी आदेश दिनांक 06.04.2023 की अनुपालना में पत्थरगढ़ी करवाई तब खसरा संख्या 3641/1971 के पूर्वी कोने पर मकान व बाड़े का निर्माण कर वादी की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या । ने जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके अतिचार करके मकानात व बाडे बना लिए है जिसको बेदखल किया जाना आवश्यक है। यह कि वाद कारण दिनांक 7/4/2023 को

थरगढ़ी के आदेश की अनुपालना में ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की कृषि भूमि पर अतिचार करके मकानात आदि बना लिये है। जिसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही किये जाने से वाद कारण सतत् रूप से जारी है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या 3641 / 1971 के पूर्वी भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की कृषि भूमि पर अतिचार करके बिना विधिपूर्ण अधिकार के बनाए गए मकानात, बाड़ों से अतिचारी के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही करके हटवाए जाने, बेदखल करने के आदेशात्मक आदेश की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करने हेतु निवेदन किया है ।

1. वादी का वाद दिनांक 5.4.2024 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीकी तलबी करवाई गयी जवाब हेतु बार बार अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही किया गया जिससे दिनांक 20.6.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बंद किया गया ।
2. दिनांक .3.9.2025 को वकील वादी की एकपक्षियी बहस सुनी गई । जवाब पेरोकार सरकार प्राप्त हुआ । जबाव पेरोकार सरकार का अवलोकन किया गया । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम अरांई, पटवार हल्का अरांई, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है। ग्राम अराई के ख0नं0 3641 / 1971 वादी लादू पुत्र रामलाल जाति जाट के नाम दर्ज है । जमाबंदी संलग्न है । जांच रिपोर्ट के संलग्न मौका पर्चा अनुसार मौके पर प्रार्थी के कब्जे में खेती काश्त है । मौके पर कुछ हिस्से पर रामदीन पुत्र श्रवण का पक्का कमरा एवं बाड लगाकर एवं चदर लगाकर कब्जा किया हुआ है । एवं किशना पुत्र मंगला जाति जाट का पक्का निर्माण आंशिक हिस्से पर है । पेरोकार सरकार के जवाब से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है । अतः तहसीलदार अराई को यह आदेशित किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी ग्राम अरांई, पटवार हल्का अरांई, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित खसरा नं0 3641 / 1971 तथा 3644 / 19714 पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अवेघ अतिकमण को हटवाकर उक्त कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को सम्भलवाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये । तहसीलदार अराई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो। आदेश की पालना अपील / मियाद अवधि गुजर जाने के बाद की जाए ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 3/9/25......... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)